क्रम संख्या–80

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 139/XXXVI(3)/2013/28(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 का संशोधन

2. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिर्गामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होते ही बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य कार्यभार ग्रहण कर लें, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व बोर्ड के निर्वाचन सम्पन्न करा लिए जायेंगे।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (3–क) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(3–क) प्रत्येक सहकारी समिति के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तरदायी होगा, जिसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जाय, नामित किया जायगा।"

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।